प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–19.06.2023 (सं0–317)

अन्तर्राज्योय पुलिस सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण

पंजाब राज्य के मोंगा जिला अन्तर्गत साउथ सिटी थाना क्षेत्र में घटित सशस्त्र डकैती की घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पंजाब राज्य के मोंगा जिला अन्तर्गत साउथ सिटी थाना क्षेत्र में एक आभूषण की दुकान में दिनांक–12.06.2023 को सशस्त्र डकैती हुई थी जिसमें अपराधियों के द्वारा डकैती के क्रम में 120 ग्राम सोना, एक .32 बोर का रिवाल्वर लूटा गया था तथा दुकान मालिक की हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में साउथ सिटी थाना काण्ड सं0–105/23, दिनांक–12.06.2023, धारा–394/397/459/379 (बी) भा0द0वि0 परिवर्तित धारा–396 भा0द0वि0 एवं 24/54/59 आर्म्स एक्ट अंकित कर वहाँ की स्थानीय पुलिस के द्वारा काण्ड का अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त का लोकेशन बिहार में पाये जाने पर वहाँ की पुलिस पटना जिला के बिहटा थाना पहुँचकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सहयोग मांगा गया।

बिहार पुलिस भारत वर्ष के सभी राज्यों की पुलिस के सहयोग कर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिबद्ध है। स्थानीय पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान के अन्तर्गत बिहटा थाना के विभिन्न थानों पर छापामारी की गई तथा मोंगा पंजाब की घटना में लिप्त 03 अपराधियों को अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना में अपराधकर्मियों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, कट्टा तथा दुकान मालिक परमिन्दर सिंह जिनकी हत्या करके उनका .32 बोर का रिवाल्वर को लूटा गया था, को भी गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। इनका मुख्य सरगना रंजीत सिंह उर्फ राजवीर सिंह है। ये बिहार के लखीसराय का मूल निवासी है।

मोंगा में दिनांक–12.06.2023 को ज्वेलरी शॉप में डकैती के बाद ये लोग बिहार, पटना के बिहटा थानान्तर्गत तीन मुहानी चौक पर एक महिला के घर में किराये पर रह रहे थें। उनलोगों ने महिला को बताया था कि वे लोग छोटा मोटा काम धन्धा कर पैसा कमाते हैं।

गिरोह के द्वारा ज्वेलरी शॉप में डकैती लूटपाट की घटना की जाती है। पटना जिला रूपसपुर थाना अन्तर्गत ज्वेलर्स के दुकान लूटपाट के कांड के भी ये लोग अभियुक्त रहे हैं।

बरामदगी:–

1. देशी कट्टा–01
2. पिस्टल–01
3. .32 का रिवाल्वर–01
4. .315 बोर रिवाल्वर का जिंदा गोली –04
5. 7.65 बोर पिस्टल का जिंदा गोली–10

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:–

1. वरूण करण पे0–नरेश कुमार सा0 हाउस नं0–08, गली नं0–01, शिवनगर जालन्धर, पंजाब।
2. राजविन्दर सिंह उर्फ बिल्ला पे0 निरजंन सिंह सा0 वार्ड नं0–13 धरकोट रोड निहाल सिंह वाला जिला–मोगा, पंजाब।
3. रंजीत सिंह उर्फ राणा उर्फ राजवीर सिंह पे0 सुरेश कुमार सा0 शिवनगर जालन्धर मूल निवासी लखीसराय बिहार। ये पश्चिम बंगाल के काण्डों में भी वांछित है।

आपराधिक इतिहासः–

1. बेउर थाना कांड सं0–268/20 दिनांक–24.11.20 धारा–394 भा0द0वि0
2. रूपसपुर थाना कांड सं0–267/19 दिनांक–19.08.2019 धारा–395/394 भा0द0वि0
3. दानापुर थाना कांड सं0–429/19 दिनांक–31.05.2019 धारा–395/397 भा0द0वि0

उपरोक्त सारे काण्ड आभूषण के दुकानों में सोना लूटने की घटना से सम्बन्धित है।

xxxxxxxxxx